रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447] नई दिल्ली मंगलवार, सितम्बर 17, 1985/भाद्र 26, 1907
No. 447] NEW DELHI TUESDAY, SEPTEMBER 17, 1985/BHADRA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1985

शुद्धिपत्र

का. आ. 675 (अ) —भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3 उपखंड (2) तारीख 1 अक्तूबर 1985 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के आदेश सं. का. आ. [illegible] (अ) [illegible] प्रश. (18)/80 आ. क. (इन्वे-3)] [illegible]

(1) पृष्ठ 1 पर पंक्ति सं. 5 में 'आइ दी (आ एफ दी)' के स्थान पर 'आ क (आइ एनवी)' पढ़ें ;

(2) पृष्ठ सं. 2 पर पैरा सं. 2 में "श्री वी. वी एस शास्त्री" के स्थान पर "श्री वी. वी एस शास्त्री" पढ़ें ; और

(3) पृष्ठ सं. 2 पर परिशिष्ट सं. 3 में "(सं. 6106/पत्र सं. प्रशा 13/80/आ. स (इन्वे-3)" के स्थान पर "सं. 6106/पत्र सं प्रशा./18/80 आ क (इन्वे-3)/" पढ़ें ।

[सं. 6421/आ. स प्रशा. (18)/80 आई टी (आई एन वी-3)]

डी. पी. पंत, उप सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, G ELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985